भोपाल जिला अभिभाषक संघ चुनाव....

देवेंद्र सिंह रावत अध्यक्ष, मुकेश नागपुरे सचिव एवं अनिता पराशर कोषाध्यक्ष निर्वाचित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जिला अभिभाषक संघ, भोपाल के द्वि-वार्षिक चुनाव (2026–28) के परिणाम शुक्रवार को मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता वासु वासवानी ने घोषित किए। मतगणना के बाद विभिन्न पदों पर निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा की गई।

अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह रावत निर्वाचित हुए। सिद्धार्थ त्रिलोक तिवारी उपाध्यक्ष, कुमारी मीरा चरार महिला उपाध्यक्ष, मुकेश नागपुरे सचिव, बारिश गुप्ता सह-सचिव, अनिता पराशर कोषाध्यक्ष तथा प्रतीक जैन पुस्तकालयाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वरिष्ठ पुरुष कार्यकारिणी में अमित सिंह, दीपक अग्रवाल, कृष्ण मोहन गुप्ता, कृष्ण राहुल श्रीवास्तव, मनोहर पाठक, राधेश्याम शर्मा, राहुल श्रीवास्तव, संजय कुमार सेन, सिद्धार्थ सिंह एवं योगेन्द्र गोस्वामी निर्वाचित हुए।

वरिष्ठ महिला कार्यकारिणी में भारती यादव, नीतू त्रिपाठी एवं रतिका दुबे ने जीत दर्ज की। कनिष्ठ पुरुष कार्यकारिणी में शुभांगी शर्मा, हर्षदीप सिंह सोलंकी, पवन पाटीदार, राहुल यादव, सोनू कुशवाह, तुषार रायकवार एवं विनम्र कोठारी निर्वाचित हुए। कनिष्ठ महिला कार्यकारिणी में रचना ठाकुर, रमा त्रिपाठी एवं सिराजुन निशा निर्वाचित घोषित की गईं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान, हितों की रक्षा और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा।

एमपी कैडर के 7 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को मिला आईपीएस अवार्ड, तीन महिला अफसर भी शामिल

मनीषा पाठक

सुमन गुर्जर

मलय जैन

समर वर्मा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मप्र राज्य पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति (आईपीएस अवार्ड) मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह पदोन्नति वर्ष-2025 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। आईपीएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सव्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं। इनमें निमिषा पांडे, मनीषा पाठक सोनी और सुमन गुर्जर तीन महिला अधिकारी हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 तथा भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में एक वर्ष की परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, 1954 के तहत इंडक्शन ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार, 25 जून को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संजय वर्मा की उपस्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर 9 रिक्त पदों पर विचार किया गया, लेकिन केवल 7 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड के लिए उपयुक्त पाया गया। दो पदों के लिए कोई अधिकारी फिट नहीं पाया गया। डीपीसी में वर्ष 1997 एवं 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था। इनमें सीताराम ससत्या, अमृत मीणा, निमिषा पांडे, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सव्यसाची सराफ, समर वर्मा और सत्येंद्र सिंह तोमर के नाम शामिल थे।

बड़े तालाब से पिस्टल बरामद करने वाले तीन गोताखोर सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: थाना ऐशबाग क्षेत्र में हुए वृद्ध दंपति के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अहम साक्ष्य के रूप में उपयोग की गई दोनों पिस्टल बड़े तालाब से बरामद करने वाले तीन गोताखोरों को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सम्मानित किया। पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोताखोर मोहम्मद इमरान, मधुकर सेन और मज़हर को उनकी साहसिक भूमिका, धैर्य एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए 5,000–5,000 की नगद पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि ऐशबाग थाना क्षेत्र में हुए वृद्ध दंपति के दोहरे हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपियों द्वारा बड़े तालाब में फेंकी गई दोनों पिस्टलों की तलाश की जा रही थी। तीनों गोताखोरों ने तालाब की मिट्टी और गारे में घंटों तक कठिन परिश्रम कर इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को खोज निकाला, जिससे मामले की जांच को निर्णायक दिशा मिली।

श्री सहस्त्रबाहु मंगल भवन का लोकार्पण 26 जुलाई को

नप्र, भोपाल : श्री सहस्त्रबाहु धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जनकल्याण समिति, भोपाल द्वारा ई-8 बसंत कुंज स्थित श्री सहस्त्रबाहु भगवान मंदिर परिसर में नवनिर्मित श्री सहस्त्रबाहु ग्रीन वैली मंगल भवन का लोकार्पण रविवार, 26 जुलाई को किया जाएगा। समिति के संयोजक राजाराम शिवहरे ने बताया कि इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी। प्रातः सात बजे सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा, 11 बजे करगिल विजय दिवस पर राष्ट्र रक्षा में शहीद वीर जवानों की स्मृति, पर्यावरण संरक्षण एवं विस्तार के उद्देश्य से पौधारोपण किया जाएगा।

एमपी एग्रो का 504 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव मंजूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: द एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की 203वीं बैठक में वर्ष 2026–27 के लिए 504 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा निगम के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने में निगम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

प्रबंध संचालक अरविंद दुबे ने बताया कि निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक सकल लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2026 में दो लाख लीटर बायो फर्टिलाइजर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

धारा 49 की सहमति बाध्यता खत्म, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने से पहले दोनों राज्यों की आपसी सहमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस निर्णय पर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दोनों राज्य सरकारों का आभार जताया है। संगठन का कहना है कि उसके सतत प्रयासों और उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका के बाद यह फैसला संभव हो सका। याचिका में केंद्र सरकार तथा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं। संगठन के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत सहमति की अनिवार्यता का स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी। प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना, संरक्षक गणेश दत्त जोशी और भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने पेंशनरों के 81 माह के बकाया महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि सहमति का ऐसा प्रावधान अधिनियम में कभी था ही नहीं।

करोंद में गौहत्या के विरोध में बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: करोंद क्षेत्र के कमल नगर में कथित गौहत्या के मामले को लेकर विश्व हिन्दू परिषद–बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन किया और निशातपुरा थाना का घेराव कर पुलिस आयुक्त के नाम सहायक पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फरार आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई, वाहनों को राजसात करने तथा अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग की गई।

विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के वीर सावरकर जिले के कार्यकर्ताओं ने बताया कि देर रात कमल नगर में गौमांस से भरा एक सवारी ऑटो पकड़ा गया, जिसमें बड़ी मात्रा में गौमांस बरामद हुआ। पदाधिकारियों के अनुसार, उन्हें कई महीनों से सूचना मिल रही थी कि कमल नगर में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं। इसके बाद कार्यकर्ता लगातार निगरानी कर रहे थे। संदेह होने पर उन्होंने डेरी पर पहुंचकर छापा मारा और गौहत्या करते हुए आरोपितों के साथ गौमांस से भरा सवारी ऑटो पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर मामला दर्ज कराया गया।

प्रदर्शन के दौरान विभाग मंत्री जीवन शर्मा ने कहा कि प्रशासन गौतस्करों की पूरी श्रृंखला का पता लगाए, तथा यह भी जांच करे कि मांस कहां बेचा जा रहा था और कौन इसे खरीद रहा था। उन्होंने सभी आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की। विभाग संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत ने कहा कि प्रशासन को तत्काल आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर उनके वाहन राजसात करने और अवैध निर्माण ध्वस्त करने चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति और दुर्गावाहिनी की बहनें उपस्थित रहीं।

डेयरी की आड़ में अवैध गोकशी का खुलासा, तीन गिरफ्तार, गौमांस और गाय का धड़ बरामद

निशातपुरा थाना क्षेत्र के कमल नगर में डेयरी की आड़ में संचालित किए जा रहे कथित अवैध बूचड़खाने का गुरुवार देर रात पुलिस ने खुलासा किया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजीज, उसके बेटे आसिफ और दामाद ज़ुबेर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मौके से कथित गौमांस, एक गाय का धड़ तथा गोकशी में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार और अन्य औजार बरामद किए गए हैं। मामले में दो अन्य आरोपित फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 12 बजे विहिप और बजरंग दल के करीब 20 कार्यकर्ता डेयरी परिसर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। विहिप के पदाधिकारी अभिषेक शर्मा ने आरोप लगाया कि गोकशी के बाद गायों की हड्डियां पास के खेत में गाड़ दी जाती थीं। मौके से सब्बल सहित अन्य औजार भी मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि इन आरोपों की जांच की जा रही है। स्थानीय निवासी सतेंद्र ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में उनकी चार गायें चोरी हुई थीं। उन्होंने बरामद गाय को अपनी बताते हुए आरोप लगाया कि चोरी किए गए मवेशियों का वध कर उनका मांस बेचा जाता था। इस संबंध में उन्होंने निशातपुरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में डेयरी के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिली है, जिसकी सूचना प्रशासन को भेज दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गायें कहां से लाई जाती थीं और कथित गौमांस की आपूर्ति किन लोगों तक की जाती थी।

ब्लैकबक शिकार-तस्करी मामले में मुख्य आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ब्लैकबक (कृष्ण मृग) के अवैध शिकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी से जुड़े मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने गिरोह के मुख्य आरोपी आजाद सिंह सोलंकी उर्फ चिंटू बना की दूसरी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इससे पहले 6 फरवरी 2026 को उसकी पहली जमानत याचिका भी निरस्त की जा चुकी थी।

एसटीएसएफ ने आरोपी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया था। 14 नवंबर 2025 को एसटीएसएफ मुख्यालय और भोपाल इकाई की संयुक्त कार्रवाई में उसे भोपाल–ब्यावरा राजमार्ग स्थित पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया था। आरोपी तब से न्यायिक हिरासत में है। मामले में अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है।

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने गवाहों के बयानों के आधार पर जमानत की मांग की, जबकि एसटीएसएफ और सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने अपराध की गंभीरता तथा वन्यजीव संरक्षण के महत्व का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम अमले से मारपीट धमकी; शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम भोपाल की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान निगम अमले के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को जोन क्रमांक-13 के वार्ड-52 स्थित बावड़िया कलां में शासकीय नाले पर किए गए अस्थायी अतिक्रमणों—टीनशेड, छप्पर एवं गुमटियों—को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की तथा कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही अतिक्रमण अधिकारी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया ने पुलिस बल को मौके पर बुलाया। इसके बाद उनकी शिकायत पर रामपाल एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध थाना शाहपुरा में प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)–2023 की धारा 296(बी), 221, 132, 324(4), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वन कैडेट-वन ट्री अभियान के तहत हुआ पौधारोपण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल की 4 मध्यप्रदेश गर्ल्स बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना द्वारा शुक्रवार को 'वन कैडेट–वन ट्री' अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रत्येक कैडेट को प्रकृति संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित करना था।

कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय छात्र सेना अधिकारी डॉ. नेहा चौधरी एवं डॉ. निशि शर्मा ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र बिहारी गोस्वामी तथा ईको क्लब की समन्वयक एवं वनस्पति विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉ. दीप्ति संकत उपस्थित रहीं।

प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र बिहारी गोस्वामी ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं और पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण मिल सकता है। डॉ. दीप्ति संकत ने पौधों के संरक्षण तथा जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधारोपण तभी सार्थक है, जब लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी की जाए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय छात्र सेना के कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर प्रत्येक पौधे के संरक्षण का संकल्प लिया। अंत में सभी कैडेट्स ने पर्यावरण संरक्षण, हरित भारत के निर्माण तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली।

कार्यशाला बाल संरक्षण तंत्र मजबूत करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला...

सभी जिलों की बाल कल्याण समितियों को मिला प्रशिक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल संरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की।

मध्यप्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एमपीसीएसटी) में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी 55 जिलों की बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का विषय पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन में बाल कल्याण समितियों की भूमिका रहा।

कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश की बाल कल्याण समितियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना, सदस्यों की विधिक एवं प्रक्रियागत दक्षता बढ़ाना तथा विभिन्न जिलों के अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना था। प्रशिक्षण के दौरान बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों, प्रकरण प्रबंधन, पुनर्वास, पुनर्स्थापन, विभागीय समन्वय, अभिलेख संधारण और रिपोर्टिंग प्रणाली सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के महासचिव रामेन्द्र सिंह ने बालहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। एमपीसीएसटी के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बाल संरक्षण प्रणाली में आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता बताई। वहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के कानूनी प्रावधानों तथा पीड़ित बच्चों के पुनर्वास संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े प्रत्येक प्रकरण में समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ित बच्चों के लिए सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से करने और प्रत्येक निर्णय में 'बालहित सर्वोपरि' के सिद्धांत को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)

क्र./मंडी/स्टोर/26-27/247 रेहटी, दिनांक : 16.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति रेहटी स श्रेणी मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से 10 मे. टन क्षमता का स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_521769_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 20.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 11.08.2026 को शाम 5:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव, कृषि उपज उपज मण्डी समिति रेहटी, जिला सीहोर
भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज उपज मण्डी समिति रेहटी, जिला सीहोर

म.प्र. माध्यम/126936/2026

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सिराली जिला-हरदा (म.प्र.)

क्र./मंडी/निर्माण/26-27/221 सिराली, दिनांक : 16.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, **सिराली, जिला हरदा 'द' श्रेणी मंडी** द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 30 मे. टन क्षमता के एवं 10 मे. टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेट सहित स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर **निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_521836_1** के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 20.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 11.08.2026 को शाम 5:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति सिराली, जिला-हरदा
भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति सिराली, जिला-हरदा

म.प्र. माध्यम/126986/2026